न्या० उपखण्ड अधिकारी उच्चैन केस 130/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मानसिंह बनाम विजयसिंह वगै.
10/12/24	पत्रावली पेश हुई। अर्जी० प्रार्थी उपनं पत्रा० वादित आदेश दिनांक 17/12/24 को पेश हो। Rahul
17/12/24	पत्रावली पेश हुई। अर्जी० प्रार्थी उपनं पत्रा० वादित आदेश दिनांक 24/12/24 को पेश हो। Rahul
24/12/24	पत्रावली पेश हुई। अर्जी० प्रार्थी उपनं प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Rahul उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 130 / 2024

1. मानसिंह पुत्र हरीराम जाति जाटव निवासी भैंसा तहसील उच्चैन।

.....प्रार्थी

बनाम

1. विजय सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी भैंसा।
2. उर्मिला पत्नी मोतीराम
3. कमला पत्नी उदयसिंह
4. जीतेन्द्र पुत्र रामस्वरूप
5. मुन्नालाल पुत्र रूपी
6. महाराजसिंह पुत्र रामस्वरूप
7. मीना देवी पुत्री रूपी
8. मोतीलाल पुत्र खूबीराम
9. बाबूलाल पुत्र रूपी
10. जयदेवी पुत्री रूपी
11. विमला पत्नी जियालाल
12. शिवदेई पत्नी रामदयाल
13. हुकमसिंह पुत्र रामस्वरूप
14. हरभेजी पत्नी रूपी
15. हंसराज पुत्र रामस्वरूप समस्त जातियान जाटव निवासी भैंसा तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थी

दिनांकः—24.12.2024

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1165 रकवा 0.12है0 बाके ग्राम भैंसा तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में हम सभी सहखातेदार सामुहिक रूप से काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी गांव के नजदीक आ गई है जिसके कारण यह आराजी कीमती हो गई है जिसके कारण सहखातेदारों के मन में बदयान्ती आ रही है जिसके कारण सहखातेदार उक्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

के आबादी से लगे एवं रास्ते के सहारे वाले हिस्सों को बेचान करना चाहते है तथा अधिक राशी बसूलना चाहते है जबकि बिना किसी विभाजन के उक्त आराजी के कीमती हिस्से को बेचान करने का किसी सहखातेदार को कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 15.09.2022 को जब प्रार्थी अपनी उक्त आराजी की देखभाल कर रहा था तो अप्रार्थीगण मौके पर आ गये एवं उक्त आराजी से मुझ प्रार्थी को बेदखल करने एवं उक्त आराजी को अन्य व्यक्ति को बेचान करने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अभिभाषक प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी गांव के नजदीक आ जाने के कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी के कीमती हिस्से का बेचान बिना बंटवारे के करना चाहते है एवं अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना के न्यायालय में भी उपस्थित नहीं आये है। अतः अप्रार्थीगण को रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतू पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस एकपक्षीय पर मनन किया गया। पत्रावली, शपथ पत्र एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णीय क्षति के बिंदु प्रार्थी के हक में साबित होते है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला बाद इस अम्र की जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1165/0.12है0 बाकै ग्राम भैंसा तहसील उच्चैन में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 24.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul Srivastava

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर